कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 28/10/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 27.10.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना भांवरकोल पुलिस द्वारा 01 नफर शातिर गौतस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार। कब्जे से 01अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 अदद बोलरो मैक्सी ट्रक रजि0नं0 UP83AT1425 में 4 राशि जिंदा गोवश बरामद ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष भांवरकोल मय हमराह रात्रि गस्त बलिया बार्डर के पास मामूर थे कि मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के क्रम में बहद ग्राम रसूलपुर में पुलिस बल द्वारा गाढाबन्दी किया गया, पुलिस की गाढाबन्दी देखकर महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक रजि0न0 UP83AT1425 का चालक गाडी की गति स्लो करते हुए अपनी बायीं दिशा मे मोड़ दिया वहां कोई रास्ता न होने के कारण आगे बढने मे असमर्थ हो गया तो पीछे की तरफ बैक करके भागना चाहा तो सडक एवं सड़क पटरी मे काफी ऊंचाई होने के कारण गाड़ी बैक नही हो पायी तथा पुलिस की घेरा बन्दी देखकर वहीं झाड़ में छिप गया, पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को आत्ममसमर्पण हेतु प्रेरित करने पर अभियुक्त द्वारा हाथ मे लिये देशी तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया जो उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह के कनपटी के बगल से होकर चली गयी जिससे वह बाल बाल बचे । पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जबाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग जाने के कारण अभियुक्त प्रशांत कुमार कठेरिया उर्फ गगन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम परशूपुरा थाना बकेवर जनपद इटावा उ0प्र0 उम्र 30 वर्ष कराहने लगा गया जिसे तत्परता से सावधानी पूर्वक नाम पता पूंछते हुए तलाशी ली गयी तो मौके से 01 अदद तंमचा .315 बोर, 01 अदद फायर शुदा खोखा तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर मौके से बरामद हुआ। उपरोक्त पिकअप में 04 राशि गोवंश जिसमे से 01 गाय व 03 बछड़ा जिन्हें क्रूरतापूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा था मय 01 अदद वाहन उपरोक्त बरामद हुआ । मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अभियुक्त को सीएचसी गोड़उर, भांवरकोल उपचार हेतु भेजा गया। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

1.प्रशांत कुमार कठेरिया उर्फ गगन पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम परशूपुरा थाना बकेवर जनपद इटावा उ0प्र0 ।

आपराधिक इतिहास :-

01 .मु0अ0सं0- 311/21 धारा- 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11(1)d पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना फुलपुर जनपद गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज

02. मु0अ0सं0- 361/24 धारा- 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना नरही जनपद बलिया

03. मु0अ0सं0- 367/22 धारा- 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी

04. मु0अ0सं0- 152/24 धारा- 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, व 3/25 आर्म्स एक्ट, व 120बी/307/24 भादवि0 थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

05. मु0अ0सं0- 170/25 धारा- 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

06. मु0अ0सं0- 14/21 धारा- 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 थाना लंका काशी कमिश्नरेट जनपद वाराणसी

07. मु0अ0सं0- 306/22 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना अली नगर जनपद चन्दौली

08. मु0अ0सं0- 306/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अली नगर जनपद चन्दौली

09. मु0अ0सं0- 308/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अली नगर जनपद चन्दौली

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर